भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1818

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में कौशल विकास

1818. श्री विद्युत बरन महतो:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कोयला क्षेत्र में कौशल विकास की कोई कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में कौशल विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने कामगारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र के सभी लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रह हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): कोयला क्षेत्र में कौशल विकास की कोई कमी नहीं है। तथापि, बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल का निरंतर पुनरभिविन्यास आवश्यक है।

(ख): सरकार कोयला क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं करती है। तथापि, वर्ष 2015-16 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड (एनएसडीएफ) और नेशनल स्किल डेवलमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) के मध्य एक त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें सीआईएल को अपने प्रचालन क्षेत्र और पड़ोसी क्षेत्र में व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार अगले दो वर्षों के लिए निधियां प्रदान करनी थीं, यह कार्य अब पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल संविदा कामगारों को प्रशिक्षण भी दे रहा है और प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित स्कीमें चला रही है:

(i) एनएसक्यूएफ के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण।
(ii) पूर्व शिक्षा को मान्यता (आरपीएल)।
(iii) प्रशिक्षु स्कीम।

(ग): सीआईएल ने एनएसडीसी द्वारा दिए गए कौशल विकास का प्रभाव आकलन अध्ययन किया था और तदनुसार, सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

(घ): जैसाकि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है।

(ड.): एमओयू का ब्यौरा उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है। उन कामगारों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है जिन्हें एमओयू के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

क्र.स.	गतिविधि	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कर्मचारियों की पूर्व शिक्षा को मान्यता (आरपीएल)	33914	1339	लागू नहीं	लागू नहीं
2	संविदा कामगारों का कौशल विकास और प्रमाणन	4661	39		

(च): सीआईएल और एनएलसीआईएल द्वारा इन-हाउस प्रशिक्षण और विशिष्टिकृत कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर भेज कर कोयला क्षेत्र में कर्मचारियों को नियमित रूप से कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। एनएसक्यूएफ के अनुसार एनएलसीआईएल के कर्मचारियों को अप-स्किल और रि-स्किल करने हेतु प्रत्येक वर्ष आरपीएल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं। सीआईएल अपने स्वयं के कर्मचारियों के अलावा खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों की आवश्यकता के अनुसार अपने कमान क्षेत्र में कार्यरत संविदा कामगारों के लिए आधारभूत और पुनश्चर्या कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित करता है।

*****